ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176202 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधान:–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री खुशवंत सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025

सचिव :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती कमलेश कुमारी	01.04.2024 से 26.06.2024
2.	श्री हरसिमरन	26.06.2024 से 31.03.2025

तकनीकी सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री सुरिन्द्र सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती सारिका	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं॰	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	4.40
2	4.2	निर्धारित सीमा से अधिक राशि नकद हस्तगत रखने बारे	0.08
3	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	14.22
4	7	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.95
5	9.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	13.92
6	9.2	खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	8.24
	9.3	पत्थर खरीद पर रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक व अनियमित भुगतान करना	0.20
7	9.4	स्त्रोत पर जी०एस०टी/टी०डी०एस०की कटौती न करने से सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि	0.18
8	10	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे	11.58

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/256 दिनांक–22.04.2025 द्वारा केवल अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 के अनिर्णीत पैरों पर ही कार्यवाही करते हुये केवल 6 पैरों की अनुपालना का सत्यापन करवाया गया तथा शेष बचे 17 पैरों के निस्तारण हेतु किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया था। यह अति गम्भीर चूक है,जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करती है। अतः प्राथमिकता के आधार पर गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के

शेष 17 पैरों के साथ– साथ वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित अंकेक्षण आपत्तियों की भी अनुपालना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:–

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

क्र0 सं0	पैरा सं.	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	5.1	अनिर्णीत	–
2.	5.2	अनिर्णीत	–
3.	7	अनिर्णीत	–
4.	8	अनिर्णीत	–
5.	9	अनिर्णीत	–
6.	10	अनिर्णीत	–
7.	11	अनिर्णीत	–
8.	14	अनिर्णीत	–

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 90 में पुष्टि उपरान्त
2.	4 क,ख	स्वतः निर्णीत	वित्तीय स्थिति
3.	4.ग,4.घ	अनिर्णीत	
4.	5	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
5.	6, (6.2)	अनिर्णीत	–
6	7.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
7	7.2	निर्णीत	अभिलेखो की पुष्टि उपरांत
8	7.3	अनिर्णीत	–
9	8.1	अनिर्णीत	–

10	8.2	अनिर्णीत	—
11	8.3	अनिर्णीत	—
12	8.4	निर्णीत	अभिलेखों की पुष्टि उपरांत
13	9	अनिर्णीत	—
14	10	अनिर्णीत	—
15	11	अनिर्णीत	—
16	12	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
17	13	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17.06.2025 से 21.06.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय—व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के अधिकतम व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2023—25	04/2024	05/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/399 दिनांक—21.06.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगडा

केन्द्रीय सहकारी बैंक सदवां के मल्टीसिटी चैक संख्या 097091 दिनांक 08.07.2025 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2025/385 दिनांकः—17.06.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में दिया गया हैः—

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2024-25	19022.24	185308.00	204330.24	0.00	204330.24

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2024-25	1565151.00	5701694.50	7266845.50	5845107.50	1421738.00

कुल योग (1+2) 204330.24+1421738.00 = **1626068.24**

(ख).बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2025 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹16,26,068.24 तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट—3"** के अनुसार अन्तशेष ₹11,86,175.02 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र0 सं0	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वयं स्रोत / पांचवा वित्/ वी.के.वी.एन.वाई/ एस	के. सी .सी. बैंक सदवा	20069021502	419480.02

	.डी.आर.एफ/एम.पी.लेड			
2	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	आई.सी.आई.सी.आई बैंक जस्सुर	374401000220	758975.00
3	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (स्व: स्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			7720
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2025 को कुल योगः–				₹1186175.02
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹1626068.24
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2025 का अन्तशेषः–				₹1186175.02
अन्तरः–				439893.22

नोटः–अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹4.40 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹4,39,893. 22/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची एवं सही स्थिति नहीं दर्शाता है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/388 दिनांकः–18.06.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPMG/01/2025 दिनांकः–21.06.2025 द्वारा आंकडो एवं तथ्यो की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि का अंतर रोकड़ बही में अधिक पाया गया,जिसकी बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणो बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली

करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए

(ध) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः—

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच—एच.ए (5) सी (15) —(13) (एल) 5—47005—81 दिनांक—15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

सचिव ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** व बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे, बल्कि **स्वः स्त्रोत** व **अनुदान पाचवां वित, बी.के.बी.एन.वाई, एस.डी.आर.एफ व एम लेड.पी.**के लिये संयुक्त खाता संख्या 20069021502 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है एवं नियमों / निर्देशों के विपरीत होने के कारण आपत्तिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 390 दिनांकः—18.06.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या— GPMG/01/2025 दिनांकः—21.06. 2025 द्वारा अवगत करवाया कि शीर्ष वाईज खाते अनुरक्षित कर लिये जायेगें।

अतः दिनांक 15.02.2012 के स्पष्ट निर्देशों उपरान्त भी आज दिन तक नियमानुसार स्कीम वाईज खातो का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशो अनुसार ही बैंक खातो का रख—रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ड.) लेखा खाता / खाताबही तैयार न करनाः—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप—7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2024—25 की खाताबही / लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही / लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी—कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहींः—

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं0, मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	15वां वित	05/03.05.2024	मस्ट्रोल 1160/शून्य	निर्माण नाली रमेश चन्द स्पुत्र रोणकी राम वार्ड 4	24500
2	15वां वित	06/04.05.2024	मस्ट्रोल 27826/ शून्य	निर्माण नाली तारा जसवंत सिंह बगैरा के घर तक	47250
3	15वां वित	07/04.05.2024	मस्ट्रोल 27825/ निल	निर्माण नाली मैहरका वार्ड 4	29050
4	15वां वित	निल/06.05.2024	171129/ शून्य	निर्माण वाटर टैंक गनधर्व सिंह भुटान वार्ड 9	14560
5	15वां वित	11/27.05.2024	112/27.05.2024	निर्माण रास्ता मोहल्ला गली वार्ड 8	43100
6	15वां वित	12/27.05.2024	110,129/27.05.2024	निर्माण जीपेवल रोड कुलदीप चन्द ,विधि चन्द देशराज इत्यादि वार्ड 8	53445
7	15वां वित	13/27.05.2024	111/27.05.2024	निर्माण रास्ता हरि सिंह के घर से लाजम सिंह घर वार्ड 6	16020

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदानों से प्राप्त की गई आय व उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त किये गए संकलित व्यय का भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों व व्यय की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि आपत्तिजनक है।

इस अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/400 दिनांकः–21.06.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPMG/01/2025 दिनांकः–21.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, अवधि 2024–25 की खाता बहियों/लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा

खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि का रखनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/— तक की राशि ही इम्प्रेस्ट रूप में रखी जा सकती है।

सभा निधि की प्रस्तुत की गई आनलाईन रोकड़ बही के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा सभी मासों के दौरान निम्नविवरणानुसार प्रावधित सीमा से अधिक नकद राशि **₹7720/-** को हस्तगत दर्शाया गया था, जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। रोकड़ बही में राशि का नकद के रूप में दर्शाया/पाया जाना, इसके अस्थाई दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इस राशि को बैंक में जमा न करवाने से इस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी ग्राम पंचायत को वंचित होना पड़ाः—

क्र. स.	मद/अनुदान	रो• ब• पृ•	जिस दिनाँक को दर्शाया गया	सीमा से अधिक रखी गई राशि (₹)
1	सभा निधि	निल	01.04.2024	7720
2.	सभा निधि	निल	31.03.2025	7720

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/393 दिनांकः—19.06.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— GPMG/01/2025 दिनांकः—21.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि नकद में दर्शाई गई राशि बारे अभिलेखों की जांच पड़ताल करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित करके कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि, इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹8,38,434.04 से ₹4,19,480.02 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/400 दिनांकः 21.06.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– GPMG/01/2025 दिनांक 21.06.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान की राशि ₹14.22 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/385 दिनांकः–17.06.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹14,21,738.00/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2025	427163.00
2	5वाँ वित्त	31.03.2025	500.00
3	13वाँ वित्त	31.03.2025	18238.00
4	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2025	975837.00
		कुल जोड	**1421738.00**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या:– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/389 दिनांक–18.06.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– GPMG/01/2025 दिनांक:–21.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आय

7 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.95/– की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/385 दिनांक:–17.06.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹95250**/– की राशि दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की राशि का बिना पर्याप्त कारणों के इतनी अधिक राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 31.03.2025 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि व अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या:– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/391 दिनांक:–18.06.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–GPMG/01/2025 दिनांक:–21.06.2025 द्वारा सूचित किया गया कि, सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरांत सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा इससे सम्बन्धित मांग व संग्रहण रजिस्टर

को तैयार करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त बढ़ते बकाया पंचायत राजस्व का मामला पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक जाँच उपरान्त यथास्थिति नियमानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

8.1 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि ₹600/- की वसूली हेतु शेष पाया जाना :—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या—SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल. श्रेणी के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400(सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां0 / 2025 / 385 दिनांकः—17.06.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना व नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा 23 विवाह पंजीकृत किये गये थे,जिस हेतु ₹200 / 400 की दर राशि ₹600 की कम वसूली गई थी।

उक्त न वसूली गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 392 दिनांकः—18.06.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 209797 द्वारा करने उपरान्त सभा निधि खाता संख्या 20069021502 में दिनांक 08.07.2025 को जमा करवा दिया गया है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

अतः उक्त राशि को सरकारी कोष जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.05/–लाख को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने बारे:–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः–04.10.2016 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/385 दिनांकः–17.06.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹4800/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई, परन्तु इस राशि में से केवल राशि ₹2800 को ही सभा निधि में जमा करवाया गया तथा शेष को सरकारी कोष/बैंक में जमा नहीं करवाया गया था, जिससे कि सरकारी कोष को प्राप्त आय के दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/392 दिनांकः–18.06.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल के ध्यानार्थ लाया गया, राशि ₹2000/- की वसूली रसीद संख्या 209797 द्वारा करने उपरान्त सभा निधि खाता संख्या 20069021502 में दिनांक 08.07.2025 को जमा करवा दिया गया है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई सम्पूर्ण राशि को, अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति उपरांत सरकारी कोष में ही जमा करवाया जाये व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹13.92/– लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरो के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट–"6"** पर संकलित राशि ₹1391731/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/394 दिनांकः–20.06.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPMG/01/2025 दिनांकः–21.06. 2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि, उक्त राशि का स्टॉक में इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित एवं उपरोक्त नियम प्रावधानो के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षणावधि में क्रय किये गए प्रत्येक सामान का पारदर्शी लेखांकन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अब क्रय किये गये प्रत्येक सामान का मदवार पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹8.24/– लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हे भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट

पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹823517/– का अनियमित भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/395 दिनांकः–20.06.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPMG/01/2025 दिनांकः–21.06.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" व "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म को प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है, प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाये गए निर्माण कार्य के लिये पत्थर खरीद पर रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.20/–लाख का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे :–

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अध्याय–2 के पैरा 2.1.2.13 के अनुसार पत्थरों (Stone/Boulders) की आपूर्ति हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की 12.5 प्रतिशत की दर से कटौती की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास 05/2024 के वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यं हेतु प्रयोग की गई निर्माण सामग्री "पत्थर" खरीद हेतु निम्न विवरणानुसार ₹162338/– का कुल भुगतान किया गया, लेकिन संविदाकार को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियों (Voids) की 12.5 प्रतिशत कटौती न करने के कारण ₹20292.25 or 20292 (162338@12.5%) का अधिक व अनियमित भुगतान किया गया था। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर संख्या / दिनांक	सामग्री	बिल संख्या / दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	मात्रा (घन मीटर)	छर (प्रति घन मीटर)	राशि (₹)
1.मनरेगा	09 / 13.05.2024	वोल्डर	105 / 22.09.2023	मै0 रघुवीर इंटरप्राईजेज गुरचाल	175.5	925	162338

उक्त अधिक एवं अनियमित भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 402 दिनांकः–21.06.2025 द्वारा पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जीपीएमजी / 01 / 2025 दिनांकः–21.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त राशि का भुगतान करने से पूर्व राशि ₹20292 / – की रिक्तियों की कटौती नहीं की गई, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त किये गए अधिक व अनियमित भुगतान को पूर्ण समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके तथा सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाना सुनिश्चित करके व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु भुगतान से पूर्व सभी दावों की नमूना जांच एवं सत्यापना नियमानुसार सक्षम उच्च तकनीकी अधिकारियों से करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

9.4 स्रोत पर जी.एस.टी/टी.डी.एस. की कटौती करने हेतु अपेक्षित अभिलेख संधारित न करने के कारण राशि ₹0.18/- लाख के सरकारी राजस्व की सम्भावित हानिः-

हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78-EXN-TAX-पार्ट–(278/25)-29056, दिनाक 29-09-18 के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग /स्थानीय निकाय/सरकारी एजेंसी/बोर्ड और अन्य निकाय द्वारा सविदाकर/फर्म/आपूर्तिकर्ता को दिनांक 01-10-18 से गुड्स व सेवायों और दोनों की आपूर्ति हेतु सिंगल अनुबंध के तहत व अन्तर्राज्यीय सप्लाई के लिये ₹2.5 लाख से अधिक की अदायगियों से @2%(1%SGST+1%CGST) की दर से GST/TDS काटने एवं उसे अगले माह की 10 तारीख तक सरकारी कोष में जमा करवाने का प्रावधान है।

नमूना अंकेक्षण व ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना "**परिशिष्ट -8**" अनुसार पाया गया कि ,15 वा वित्त व नरेगा शीर्षो के अंतर्गत विभिन विकास कार्यों के लिये निम्नविवरणानुसार राशि की निर्माण सामग्री की प्राप्ति

की गई थी, किन्तु उक्त नियम प्रावधानों के दृष्टिगत आपूर्तिकर्ताओं से स्त्रोत पर कर राशि **₹18278/-** की कटौती (टीडीएस) नहीं की गई थी:-

क्रम स०	वो०/दिनांक	कॉन्ट्रैक्टर/फर्म का नाम	परिशिष्ट के अनुसार भुगतान की गई राशि (₹)	स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) की राशि (₹)
1.	परिशिष्ट "8" अनुसार (क्रम संख्या 1 से 9)	मैसर्ज रघु इंटरप्राइजेज गुरचाल	379171.00	7583.42 or say 7583
2.	परिशिष्ट "8" अनुसार (क्रम संख्या 10 से 16)	मैसर्ज तिलक राज सनोह गुरचाल	534744.50	10694.89 or say10695
		कुल	913915.50	18278.31 or say18278

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/401 दिनांकः–21.06.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल को तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPMG/01/2025 दिनांकः–21.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि पर जी.एस.टी/टी.डी.एस की कटौती नहीं की गई है, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः नियमानुसार जी.एस.टी/टी.डी.एस की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इस अनियमितता को उपरोक्त नियमानुसार ,समर्थित अभिलेखो सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि हेतु ऐसे अन्य मामलों की जांच कर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.5 अनुमोदित/न्यूनतम निविदा दर की तुलना में अधिक दर से ₹0.04/– लाख का अधिक भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो

पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान की वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत निर्माण कार्यों को करवाने हेतु निर्माण सामग्री का क्रय अनुमोदित/न्यूनतम निविदा दर से न करके अधिक दर पर करने से निम्नविवरणानुसार राशि ₹3572/– का अधिक भुगतान किया गया था, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है एवं आपतिजनक भी है:–

अनुदान	वाउचर स0/ दिनांक/ बिल सं0	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	न्यूनतम व अपेक्षित दर से भुगतान (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.मनरेगा	06/13.05. 2024/032	मै तिलक राज गुरचाल	Aggregate(20mm)	20400 (17@1200)	21692 (17@1276)	1292
2.मनरेगा	11/13.05. 2024/052	मै रघुवीर ईंटरप्राईजेज गुरचाल	Aggregate(20mm)	13200 (11@1200)	14036 (11@1276)	836
3.मनरेगा	15/13.05. 2024/033	मै तिलक राज गुरचाल	Aggregate(20mm)	12000 (10@1200)	12760 (10@1276)	760
4.मनरेगा	18/13.05. 2024/034	मै तिलक राज गुरचाल	Aggregate(20mm)	10800 (09@1200)	11484 (09@1276)	684
					कुल योग	**3572**

इस वित्तीय अनियमितता के दृष्टिगत किये गए भुगतान को उपरोक्त नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/397 दिनांक:– 20.06.2025 के अंतर्गत पंचायत सचिव को सूचित किया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 209795 व 209796 द्वारा करने उपरान्त सभा निधि खाता संख्या 20069021502 में दिनांक 08.07.2025 को जमा करवा दिया गया है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति न हो सुनिश्चित करके कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

10 निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹11.58/–लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित सुसंगत अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 05/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹11,57,833/–का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.15वां वित	05/03. 05.2024	मस्ट्रोल 1160/शून्य	निर्माण नाली रमेश चन्द सुपुत्र रोणकी राम वार्ड 4	24500	तकनीकी स्वीकृति, प्रारूप 34
2.15वां वित	06/04. 05.2024	मस्ट्रोल 27826/ शून्य	निर्माण नाली तारा जसवंत सिंह बगैरा के घर तक	47250	तकनीकी स्वीकृति, प्रस्ताव, प्रारूप 34
3.15वां वित	07/04. 05.2024	मस्ट्रोल 27825/ शून्य	निर्माण नाली मैहरका वार्ड 4	29050	तकनीकी स्वीकृति, प्रारूप 34
4.15वां वित	निल/06. 05.2024	171129/ शून्य	निर्माण वाटर टैंक गनधर्व सिंह भुटान वार्ड 9	14560	तकनीकी स्वीकृति, प्रारूप 34
5.15वां वित	11/27. 05.2024	112/27. 05.2024	निर्माण रास्ता मोहल्ला गली वार्ड 8	43100	तकनीकी स्वीकृति, प्रारूप 34
6.15वां वित	12/27. 05.2024	110,129/2 7.05.2024	निर्माण जीपेवल रोड कुलदीप चन्द ,विधि चन्द देशराज इत्यादि वार्ड 8	53445	तकनीकी स्वीकृति, प्रारूप 34
7.15वां वित	13/27. 05.2024	111/27. 05.2024	निर्माण रास्ता हरि सिंह के घर से लाजम सिंह	16020	तकनीकी स्वीकृति, प्रारूप 34

			घर वार्ड 6		
8.नरेगा	01/13.05.2024	20156/17.05.2023	निर्माण खेल का मैदान जी.पी.एस/मिडल स्कूल गुरचाल वार्ड 8	71225	प्रस्ताव, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, प्रारूप 34
9.नरेगा	3,4,5/13.05.2024	101,106,1107/22.09.2023	निर्माण भूमि बचाव कार्य/अतिरिक्त कार्य शमशानघाट सनोह वार्ड 6	228146	प्रस्ताव, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका
10.नरेगा	9,10/13.05.2024	105,1106/22.09.2023	निर्माण करेट वर्क रमेश चन्द,रत्तन,चमारू इत्यादि जमीन वार्ड 9	164338	प्रस्ताव, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका
11.नरेगा	13/13.05.2024	93132/09.05.2023	निर्माण भूमि बचाव कार्य नजदीक, देशराज इत्यादि जमीन वार्ड 6	32967	प्रस्ताव, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, प्रारूप 34
12.नरेगा	14/13.05.2024	93133/09.05.2023	निर्माण भूमि बचाव कार्य नजदीक, शिव कुमार, देशराज इत्यादि जमीन वार्ड 6	34595	प्रस्ताव, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति,माप पुस्तिका, प्रारूप 34
13.नरेगा	21/13.05.2024	1894/10.07.2023	निर्माण जीपेवल रोड राजेश कुमार,रमेश चन्द घर वार्ड 4	36000	प्रस्ताव, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, प्रारूप 34
14.नरेगा	22/13.05.2024	20167/27.05.2023	निर्माण जीपयोग्य रास्ता चुनी,पन्दु इत्यादि वार्ड 8	89947	प्रस्ताव, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति,माप पुस्तिका, प्रारूप 34
15.नरेगा	23/13.05.2024	93137/09.05.2023	निर्माण जीपयोग्य रास्ता नजदीक वीर सिंह इत्यादि घर वार्ड 1	10175	प्रस्ताव, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, प्रारूप 34
16.नरेगा	24/13.05.2024	93136/09.05.2023	निर्माण जीपयोग्य रास्ता पुली से खन्हड मोहल्ला	168905	प्रस्ताव, प्राक्कलन,तकनीकी

			वार्ड 2		स्वीकृति,माप पुस्तिका, प्रारूप 34
17.नरेगा	25 / 13. 05.2024	20158 / 17. 05.2023	निर्माण जीपयोग्य रास्ता मेन रोड से सुरिन्द्र सिंह इत्यादि वार्ड 9	68783	प्रस्ताव, प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,माप पुस्तिका, प्रारूप 34
18.नरेगा	26 / 13. 05.2024	93134 / 09. 05.2023	निर्माण जीपयोग्य रास्ता नजदीक विजय ,सुरिन्द्र सिंह इत्यादि घर	24827	प्रस्ताव, प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति,माप पुस्तिका, प्रारूप 34
			कुल योग	**1157833**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 396 दिनांकः—20.06. 2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— GPMG/01/2025 दिनांक 21.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि माप—पुस्तिकाओं व अन्य अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षाणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. भुगतान आदेश पारित किये बिना ही ₹2.96 /— लाख का अनियमित भुगतान करनाः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल / वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 05 / 2024 के अनुदान 15वां वित, व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर केवल प्रधान के हस्ताक्षर ही करवाये गए थे। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर व भुगतान आदेश पारित किये बिना ही

₹2,96,475/— का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/400 दिनांकः—21.06.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— GPMG/01/2025 दिनांकः—21.06.2025 द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान समय से नियमानुसार भुगतान आदेश पारित करने उपरांत ही भुगतान किया जा रहा है। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताएंः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान व सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति व नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का निरीक्षण। नियम 102(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से अधियाचना जारी मस्ट्रोल प्राप्त किये जाने अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रोलों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा मुख्य रूप से इनमें निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईः—

1. निम्न अनुदान के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण से भुगतान की गई राशि हेतु किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका।

उदाहरण हेतु नमूना अंकेक्षण में सामने आये मस्ट्रोल जो कि तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे निम्न तालिका में संकलित हैंः—

क्र•स•	अनुदान	वाउचर स0/ दिनांक	मस्टर—रोल क्रमांक	राशि (₹)
1	15वां वित	05/03.05.2024	1160/निल	24500

2	15वां वित	06/04.05.2024	27826/निल	47250
3	15वां वित	07/04.05.2024	27825/निल	29050
4	15वां वित	14/29.05.2024	21250/निल	28350
5	15वां वित	0017145/29.05.202	0017145/निल	28350

2.संकर्म समिति, सतर्कता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षरो के स्थान पर केवल 3–4 पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर ही करवाये गए, जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु उक्त समितियों का गठन होना व उनके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है,जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी।

3.ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान किया गया है, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

4.पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी को अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त करेगा, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त नियमों के अभाव में वितीय अनियमितताओं की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओं बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/398 दिनांक:–20.06.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या जीपीएमजी/01/2025 दिनांक 21.06.2025 द्वारा अवगत करवाया कि, मस्ट्रोल के भुगतान से सम्बन्धित विभिन्न अनियमितताओं की भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युतर उपरोक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना करके भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसमें अपेक्षित कार्रवाई करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

13. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा **परिशिष्ट "6,7 व 8"** के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि, निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं:–

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप–पुस्तिका, तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त चयनित मास में करवायें गये निर्माण कार्यों की माप–पुस्तिकाओं में कार्य शुरू करने व समाप्ति दिनांक को भी नहीं दर्शाया गया, जिससे उक्त कार्यों की वास्तविक समाप्ति समय अवधि की भी अंकेक्षण में पुष्टि नहीं हो पाई।

3.15वां वितायोग अनुदान के निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) के अनुसार माप–पुस्तिकाओं के संबंध में कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी।

5. ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34 , जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है ,उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की स्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/400 दिनांकः– 21.06.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जीपीएमजी/01/2025 दिनांकः–21.06.2025 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गए निर्माण कार्यों के प्रपत्र 34 सी को भी तैयार करने उपरांत अंकेक्षण अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

14 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/385 दिनांकः 17.06.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जीपीएमजी/01/2025 दिनांकः–21.06.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, फलस्वरूप लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1.हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	मांग व प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
6	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी

10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	माप–पुस्तिका रजिस्टर	....	101(2)v
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
13	बिजली बिल व ब्रॉडबैण्ड बिल रजिस्टर	....	....

2.हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	34
2	अनुदान रजिस्टर	8	34

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/385 दिनांकः–17.06.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जीपीएमजी/01/2025

दिनांकः—21.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः—

16.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः—

रसीद बुको के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म—2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप—4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदो का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनरूप लेखों का रख—रखाव ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल की अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2024 के 15वां वित व मनरेगा अनुदानो के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/400 दिनांकः–21.06.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जीपीएमजी/01/2025 दिनांकः–21.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है।

17 **लघु आपति विवरणिकाः**– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्षः**– लेखों के रख–रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व जारी अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

5133-5137 04 AUG 2025 का०प्रि०

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)90/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0)–176202 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

04 AUG 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
का०प्रि० दूरभाष–0177–2620046

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या 4.1 (क))

FINANCIAL POSITION OF GP MAMU GURCHAL BLOCK NURPUR DISTT. KANGRA (HP)-176202 FOR THE YEAR 2024-25

1 OWN SOURCES(SF/5TH SFC)

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	19022.24	185308.00	204330.24	0.00	204330.24

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	1565151.00	5701694.50	7266845.50	5845107.50	1421738.00

Note :- It is certified that the 0pening Balance(Including Cash in Hand) of Sabha NIshi as on 01.04.2024 as per Online Cashbook

प्रधान सचिव
ग्राम पं. ममूह गुरचाल
वि.खण्ड नूरपुर (कांगड़ा)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP MAMU GURCHAL BLOCK NURPUR DISTT. KANGRA(H.P)FOR THE YEAR 2024-25

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2024-25	427163.00	0.00	427163.00	0.00	**427163.00**
2	5TH SFC	2024-25	500.00	0.00	500.00	0.00	**500.00**
3	13TH FC	2024-25	18238.00	0.00	18238.00	0.00	**18238.00**
4	15TH FC/ZP/PS	2024-25	1119250.00	1659686.00	2778936.00	1803099.00	**975837.00**
5	MGNREGA	2024-25	0.00	4042008.50	4042008.50	4042008.50	**0.00**
		TOTAL	**1565151.00**	**5701694.50**	**7266845.50**	**5845107.50**	**1421738.00**

Note :- It is certified that the Opening Balances of GIAs as on 01.04.2024 as per Online Scheme wise Cashbook

प्रधान सचिव
ग्राम पं. ममूह गुरचाल
वि.खण्ड नूरपुर (कांगड़ा

30

32

परिशिष्ट -03(पैरा संख्या " 4.1(ख)")

कार्यालय ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल विकास खंडनूरपुर जिला काँगड़ा हि.प्र.176202

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल के दिनांक 01-04-2024 व 01-03-2025 को बैंक शेष:-

क्र. सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-04-2024 को	बैंक शेष 31-03-2025 को
01	स्वयं सत्रोत / पांचवा वित/ वी.के.वी.एन.वाई/ एस .डी.आर.एफ/एम.पी.लेड	के. सी .सी. बैंक सदवा	20069021502	838434.04	419480.02
02	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	आई.सी.आई.सी. .आई बैंक जस्सुर	374401000220	903967.00	758975.00
03	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			7720	7720
			कुल योग	1750121.04	1186175.02

प्रधान सचिव
ग्राम पं. ममूह गुरचाल
वि.खण्ड नूरपुर (कांगड़ा)

31

परिशिष्ट -04(पैरा संख्या "7")

कार्यालय ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल विकास खंड नूरपुर जिला काँगड़ा हि.प्र.-176202

दिनांक 31-03-2025 को ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2024-25 में 827 परिवारों में सभी परिवारों से 50/- रूपये की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	गृह कर/प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2024-25	53900	827	50	41350	95250	00	95250

प्रधान
ग्राम पं. ममूह गुरचाल
वि.खण्ड नूरपुर (कांगड़ा)

सचिव

32

परिशिष्ट 5 (पैरा संख्या "8.1" व "8.2")

ग्राम पंचायत ममुह गुरचाल,विकास खंड नूरपुर ,विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त की गई राशि व वसूली हेतु शेष ब्यौरा							
क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रशीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली
1	साहिल सिंह पुत्र अजय कुमार	18/2/2024	4/4/2024	209759	400	400	0
2	लोकेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल	7/3/2024	4/4/2024	209763	200	200	0
3	दिव्यांश पठानिया पुत्र राजेश्वर	13/5/2024	28/6/2024	209767	400	200	200
4	गौरव शर्मा पुत्र सतपाल शर्मा	14/7/2024	20/7/2024	nill	200	0	200
5	अमित ठाकुर पुत्र रविंदर कुमार	15/7/2024	26/7/2024	209768	200	200	0
6	विकास पुत्र अशोक कुमार	3/10/2024	22/10/2024	209772	200	200	0
7	पंकज शर्मा पुत्र देश राज	11/10/2024	4/11/2024	209773	200	200	0
8	विजय कुमार पुत्र तरसेम सिंह	28/10/2024	11/11/2024	209774	200	200	0
9	मुनीश कुमार पुत्र तेसेम सिंह	21/10/2024	11/11/2024	209775	200	200	0
10	कुलदीप सिंह पुत्र बाबु राम	11/10/2024	11/11/2024	209776	200	200	0
11	बलवंत सिंह पुत्र करतार सिंह	6/11/2024	25/11/2024	209777	200	200	0
12	माखन सिंह देश राज	8/11/2024	3/12/2024	209778	200	200	0
13	जीवन कुमार पुत्र विधि चंद	7/12/2024	18/12/2024	209779	200	200	0
14	मुनीश कुमार पुत्र मुन्सी राम	6/11/2024	18/12/2024	209780	400	200	200
15	रोहित कुमार पुत्र रमेश चंद	11/12/2024	18/12/2024	209781	200	200	0
16	जसविंदर कुमार पुत्र बाबु राम	1/1/2025	24/1/2025	209782	200	200	0
17	अनिल पुत्र माशु राम	16/1/2025	5/2/2025	209783	200	200	0
18	अजय चौधरी पुत्र दिल्वाग सिंह	18/02/2025	4/3/2025	209784	200	200	0
19	साहिल कुमार पुत्र सुरिंदर कुमार	18/02/2025	4/3/2025	209785	200	200	0
20	रोहित ठाकुर पुत्र किशोरसिंह	8/12/2024	4/3/2025	209786	400	400	0
21	रोहित पुत्र सुख लाल	18/2/2025	10/3/2025	209787	200	200	0
22	अमन चौधरी पुत्र शाम लाल	19/2/2025	11/3/2025	209788	200	200	0
23	रोहित पुत्र रण सिंह	3/3/2025	19/3/2025	209789	200	200	0
				कुल	5400	4800	600

प्रधान सचिव
ग्राम पं. ममूह गुरचाल
वि.खण्ड नूरपुर (कांगड़ा)

33

परिशिष्ट–6(पैरा संख्या "9.1"ब [illegible])

पंचायत ममूह गुरचाल विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां ग्राम भंडार पुस्तिकाओं में न करना।

अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल स०/दिनाक	सामग्री	मात्रा प्रति घन मीटर	दर	कुल राशि	टिप्पणी
MGNREGA	02/13/05/2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHAL	104/ 22/09/2023	SAND	19	1111	21109	Stock Entry
				Aggrigate 20MM	9	1276	11484	
				Aggrigate 40 MM	26	1069	27794	
MGNREGA	03/1/13/05/2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	101 22/09/2023	SAND	26	2140	55640	Stock Entry
				Aggrigate 10MM	4	1755	7020	
				Aggrigate 20MM	22	1755	38610	
				Aggrigate 40 MM	36	1755	63180	
				Boulder	34.5	925	31912.5	
MGNREGA	06/13/05/2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	032 05/04/2023	SAND	33	1111	36663	Stock Entry
				Aggrigate 20MM	17	1276	21692	
				Aggrigate 40 MM	46	1069	49174	
MGNREGA	09/13/05/2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHAL	05 22/09/202	Boulder	175.5	925	162337.5	Stock Entry
MGNREGA	11/13/05/2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHALL	052/ 05/04/2023	SAND	21	1111	23331	Stock Entry
				Aggrigate 20MM	11	1276	14036	
				Aggrigate 40 MM	29	1069	31001	
MGNREGA	15/13/05/2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	033/ 05/04/2023	SAND	21	1111	23331	Stock Entry
				Aggrigate 10MM	2	1281	2562	
				Aggrigate 20MM	10	1276	12760	
				Aggrigate 40 MM	17	1069	18173	
MGNREGA	19/13/05/2025	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	034/ 06/04/2023	SAND	19	1111	21109	Stock Entry
				Aggrigate 10MM	2	1281	2562	
				Aggrigate 20MM	9	1276	11484	
				Aggrigate 40 MM	16	1069	17104	
				Boulder	28	766	21448	
15TH FC	11/27.05.2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	112/27.05.2024	SAND	10	2140	21400	Stock Entry
				Aggrigate	5	1755	8775	
				Boulder	6	925	5550	
15TH FC	12/27.05.2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	110/27.05.2024	SAND	12	2140	25680	Stock Entry
				Aggrigate	9	1755	15795	
				Boulder	6	925	5550	
15TH FC	13/27.05.2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	111/27.05.2024	SAND	11	750	8250	Stock Entry
				Aggrigate	10	700	7000	
15TH FC	09/13.05.2024	M/S TANISHKA TILE INDUSTRY SADWAN	1289/NIL	Sign Board	1	2350	2350	Stock Entry
15TH FC	10/14.05.2024	M/S TANISHKA TILE INDUSTRY SADWAN	1290/NIL	Sign Board	1	2350	2350	Stock Entry
15TH FC	11/27.05.2024	M/S TANISHKA TILE INDUSTRY SADWAN	1297/NIL	Sign Board	1	2350	2350	Stock Entry
15TH FC	12/27.05.2024	M/S TANISHKA TILE INDUSTRY SADWAN	1299/NIL	Sign Board	1	2400	2400	Stock Entry

34

प्रधान ... सचिव ग्राम पं. ममूह गुरचाल विकास खण्ड नूरपुर (कांगड़ा)

15TH FC	13/27.05.2024	M/S TANISHKA TILE INDUSTRY SADWAN	1298/NIL	Sign Board	1	2400	2400	Stock Entry
NREGA	01/13.05.2024	HPCS JASSUR	20156/17.05.2023	Cement Bag	175	407	71225	Stock Entry
NREGA	03/13.05.2024	M/S TANISHKA TILE INDUSTRY SADWAN	1105/22.09.2023	Sign Board(3*2)	1	2000	2000	Stock Entry
NREGA	04/13.05.2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHALL	106/22.09.2023	Pipe	26	190	4940	Quatations, Stock Entry
NREGA	05/13.05.2024	M/S TANISHKA TILE INDUSTRY SADWAN	1107/22.09.2023	Sign Board(3*2)	1	2000	2000	Stock Entry
NREGA	08/13.05.2024	M/S TANISHKA TILE INDUSTRY SADWAN	1043/19.04.2023	Sign Board(3*2)	1	2000	2000	Stock Entry
NREGA	10/13.05.2024	M/S TANISHKA TILE INDUSTRY SADWAN	1106/19.04.2023	Sign Board(3*2)	1	2000	2000	Stock Entry
NREGA	12/13.05.2024	M/S TANISHKA TILE INDUSTRY SADWAN	1042/19.04.2023	Sign Board(3*2)	1	2000	2000	Stock Entry
NREGA	13/13.05.2024	HPCS JASSUR	93132/09.05.2023	Cement Bag	81	407	32967	Stock Entry
NREGA	14/13.05.2024	HPCS JASSUR	93133/09.05.2023	Cement Bag	85	407	34595	Stock Entry
NREGA	17/13.05.2024	M/S TANISHKA TILE INDUSTRY SADWAN	1041/19.04.2023	Sign Board(3*2)	1	2000	2000	Stock Entry
NREGA	20/13.05.2024	M/S TANISHKA TILE INDUSTRY SADWAN	1040/19.04.2023	Sign Board(3*2)	1	2000	2000	Stock Entry
NREGA	21/13.05.2024	M/S TANISHKA TILE INDUSTRY SADWAN	1894/10,07.2023	Inter Lock Tiles (80mm)	1800	20	36000	Stock Entry
NREGA	22/13.05.2024	HPCS JASSUR	20167/27.05.2023	Cement Bag	221	407	89947	Stock Entry
NREGA	23/13.05.2024	HPCS JASSUR	93137/09.05.2023	Cement Bag	25	407	10175	Stock Entry
NREGA	24/13.05.2024	HPCS JASSUR	93136/09.05.2023	Cement Bag	415	407	168905	Stock Entry
NREGA	25/13.05.2024	HPCS JASSUR	20158/17.05.2023	Cement Bag	169	407	68783	Stock Entry
NREGA	26/13.05.2024	HPCS JASSUR	93134/17.05.2023	Cement Bag	61	407	24827	Stock Entry
					कुल		1391731	

35

प्रधान सचिव
ग्राम पं. समूह गुरचाल
वि.खण्ड नूरपुर (कांगड़ा)

परिशिष्ट–7 (पैरा संख्या – "9.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत ममूह गुरचाल विकास खण्ड नूरपुर ,जिला कांगडा द्वारा हि0प्र0 –176202 द्वारा कय खनन निर्माण सामग्री

क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल स०/दिनाक	सामग्री	मात्रा प्रति घन मीटर	दर	कुल राशि
1	MGNREGA	02/13/05/2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHAL	104/ 22/09/2023	SAND	19	1111	21109
					Aggrigate 20MM	9	1276	11484
					Aggrigate 40 MM	26	1069	27794
2	MGNREGA	03/1/13/05/2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	101 22/09/2023	SAND	26	2140	55640
					Aggrigate 10MM	4	1755	7020
					Aggrigate 20MM	22	1755	38610
					Aggrigate 40 MM	36	1755	63180
					Boulder	34.5	925	31912.5
3	MGNREGA	06/13/05/2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	032 05/04/2023	SAND	33	1111	36663
					Aggrigate 20MM	17	1276	21692
					Aggrigate 40 MM	46	1069	49174
4	MGNREGA	09/13/05/2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHAL	105 22/09/2023	Boulder	175.5	925	162337.5
5	MGNREGA	11/13/05/2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHALL	052 05/04/2023	SAND	21	1111	23331
					Aggrigate 20MM	11	1276	14036
					Aggrigate 40 MM	29	1069	31001
6	MGNREGA	15/13/05/2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	033/ 05/04/2023	SAND	21	1111	23331
					Aggrigate 10MM	2	1281	2562
					Aggrigate 20MM	10	1276	12760
					Aggrigate 40 MM	17	1069	18173
7	MGNREGA	18/13/05/2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	034/ 06/04/2023	SAND	19	1111	21109
					Aggrigate 10MM	2	1281	2562
					Aggrigate 20MM	9	1276	11484
					Aggrigate 40 MM	16	1069	17104
					Boulder	28	766	21448
8	15TH FC	11/27.05.2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	112/27.05.2024	SAND	10	2140	21400
					Aggrigate	5	1755	8775
					Boulder	6	925	5550
9	15TH FC	12/27.05.2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	110/27.05.2024	SAND	12	2140	25680
					Aggrigate	9	1755	15795
					Boulder	6	925	5550
10	15TH FC	13/27.05.2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	111/27.05.2024	SAND	11	750	8250
					Aggrigate	10	700	7000
						कुल		823517

नोट:–1.उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा X औरW फॉर्म प्राप्त किए बिना ही कय की गई।

प्रधान
ग्राम पं. ममूह गुरचाल
वि.खण्ड नूरपुर (कांगड़ा)

36

परिशिष्ट–8 पैरा संख्या "9.3"

ग्राम पंचायत समूह गुरचाल विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ,द्वारा कय निर्माण सामग्री पर जी.एस.टी / टी.डी.एस की कटौती न करने से सरकारी कोष को संभावित राजस्व हानि।

क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 / दिनांक	फर्म का नाम	बिल स० / दिनाक	सामग्री	मात्रा प्रति घन मीटर	दर	कुल राशि
1	MGNREGA	02/13/05/2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHAL	104/ 22/09/2023	SAND	19	1111	21109
					Aggrigate 20MM	9	1276	11484
					Mixture(Days)	16	350	5600
					Aggrigate 40 MM	26	1069	27794
2	15TH FC	11/27/05/2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHAL	130/ 27/05/2024	Mixture(Days)	6	550	3300
					Water Tank	3	1175	3525
3	15TH FC	12/27/05/2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHAL	129/ 27/05/2024	Mixture(Days)	6	550	3300
					Cement Carriage (Bags)	22	35	770
					Water Tank	2	1175	2350
4	MGNREGA	04/13/05/2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHAL	106/ 22/09/2023	Mixture(Days)	27	550	14850
					Shuttering(sq2f)	506	19.75	9993.5
					Pipe	26	190	4940
5	MGNREGA	07/13/05/2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHAL	050/05.04.2023	Mixture(Days)	32	300	9600
					Shuttering(sq2f)	660	15	9900
6	MGNREGA	16/13.05.2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHAL	051/05.04.2023	Mixture(Days)	15	300	4500
7	MGNREGA	19/13.05.2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHAL	053/05.04.2023	Mixture(Days)	14	300	4200
8	MGNREGA	09/13/05/2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHAL	05 22/09/202	Boulder	175.5	925	162337.5
9	MGNREGA	11/13/05/2024	M/S RAGHUVIR ENTERPRISES GURCHALL	052/ 05/04/2023	SAND	21	1111	23331
					Aggrigate 20MM	11	1276	14036
					Mixture(Days)	21	300	6300
					Shuttering(sq2f)	330	15	4950
					Aggrigate 40 MM	29	1069	31001
							TOTAL(1)	379171
10	MGNREGA	03/1/13/05/2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	101 22/09/2023	SAND	26	2140	55640
					Aggrigate 10MM	4	1755	7020
					Aggrigate 20MM	22	1755	38610
					Aggrigate 40 MM	36	1755	63180
					Boulder	34.5	925	31912.5
11	MGNREGA	06/13/05/2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	032 05/04/2023	SAND	33	1111	36663
					Aggrigate 20MM	17	1276	21692
					Aggrigate 40 MM	46	1069	49174
12	MGNREGA	15/13/05/2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	033/ 05/04/2023	SAND	21	1111	23331
					Aggrigate 10MM	2	1281	2562
					Aggrigate 20MM	10	1276	12760
					Water Tank	2	500	1000
					Aggrigate 40 MM	17	1069	18173
13	MGNREGA	18/13/05/2025	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	034/ 06/04/2023	SAND	19	1111	21109
					Aggrigate 10MM	2	1281	2562
					Aggrigate 20MM	9	1276	11484
					Aggrigate 40 MM	16	1069	17104
					Boulder	28	766	21448
					SAND	10	2140	21400

रघुवीर सिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत समूह–गुरचाल
ब्लॉक . . जिला कांगड़ा

37

39

14	15TH FC	11/27.05.2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	112/27.05.2024	Aggrigate	5	1755	87
					Cement Carriage (Bags)	25	22	550
					Boulder	6	925	5550
15	15TH FC	12/27.05.2024	M/S TILAK RAJ SANOH GURCHAL	110/27.05.2024	SAND	12	2140	25680
					Aggrigate	9	1755	15795
					Boulder	6	925	5550
16	15TH FC	13/27.05.2024	M/S TILAK RAJ SANCH GURCHAL	111/27.05.2024	SAND	11	750	8250
					Cement Carriage (Bags)	22	35	770
					Aggrigate	10	700	7000
							TOTAL(2)	534744.5
							GRAND TOTAL	913915.5

प्रधान
ग्राम पंचायत समूह-गुरचाल
ब्लॉक नूरपुर, जिला कांगड़ा